तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/383) बअनवान भंवरराम व अन्य बनाम किसनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भंवरराम व अन्य

बनाम

किसनी इत्यादि

आदेश

दिनांक 15 जनवरी 2025

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. छः

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 271/2023 अनवान भंवरराम व अन्य बनाम किसनी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात् खसरा नं. 1517 अपीलार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के पिता रेस्पो संख्या दो भरमलराम वादग्रस्त आराजीयात को आगे बेचान/हस्तांतरण करने पर आमादा है। यह उल्लेखनीय है कि भरमलराम द्वारा पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात में सें बेचान किया जा चुका है। खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के पिता रेस्पो संख्या दो भरमलराम के नाम शेष भूमि संरक्षित को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/383) बअनवान भंवरूराम व अन्य बनाम किसनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को अपास्त किया जावे एवं वाद के लंबित रहने तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी प्रथमदृष्टया अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। अद्यतन राजस्व रेकर्ड मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1517 रकबा 38.849 हैक्टेयर में अपीलांट्स के पिता भरमलराम पुत्र रामुराम का 229/1600 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट्स का निवेदन है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते उनके पिता रेस्पो. संख्या दो भरमल राम द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया जाता है तो उनके वाद का औचित्य ही खत्म हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय हित में रेस्पोडेंट संख्या दो के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किया जाना प्रथमदृष्टया उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/383) बअनवान भंवरराम व अन्य बनाम किसनी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट संख्या दो भरमलराम को पाबंद किया जाता है कि वह वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं. 1517 रकबा 38.8498 हैक्टेयर में अपने नाम दर्ज 229/1600 हिस्सा भूमि का बेचान नहीं करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर